



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 4647

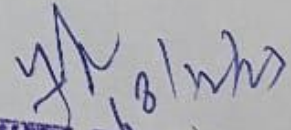
दिनांक:- 18/12/23

श्री अशोक कुमार मीना पुत्र श्री भरता राम मीना,
निवासी ग्राम भैसलाना, तहसील पावटा,
जिला जयपुर।

विषय- ग्राम चकगेटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 568/207, 579/566
कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर पर सृजित आवासीय योजना
“नन्दपुरी प्रथम” का रैरा रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम चकगेटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर
568/207, 579/566 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर पर सृजित आवासीय योजना
“नन्दपुरी प्रथम” का अनुमोदित मानचित्र ड्राईंग नम्बर 1358/बी/15.12.2023 संलग्न कर भिजवाया
जा रहा है। अतः उक्त योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।
संलग्न-अनुमोदित मानचित्र।


उपायुक्त, जयपुर-9
जविप्रा, जयपुर, जयपुर



Samsung Quad Camera

Shot with my Galaxy F62

LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME "NANDPURI Ist" KH. NO-568/207 & 579/566 AT VILLAGE - CHAK GETOR, TEH.-SANGANER, DIST.-JAIPUR

J.D.A.

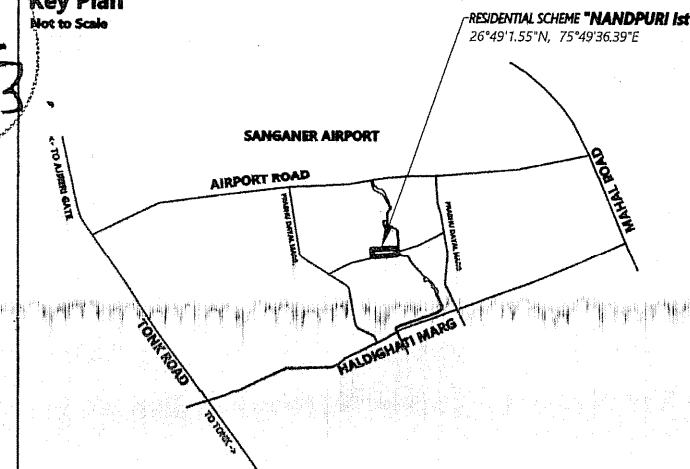
1358

B.

15-12-23

Key Plan

Not to Scale



Residential Scheme Area Analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mtr.)	Percent	
1	Residential	2374.80	62.50 %	64.00 %
2	Retail comm.	57.00	01.50 %	
3	Park	248.69	06.54 %	36.00 %
4	S.W.M.	54.47	01.43 %	
5	UTILITY	10.00	00.26 %	
6	Road	1055.04	27.77 %	
	Total area	3800.00	100.00 %	100.00 %

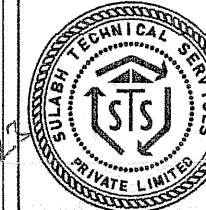
योजना की मोके जाँच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना की सड़कों, भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

डेडीकेटेड सलाहकार
फर्म का नाम एवम् हस्ताक्षर

2023

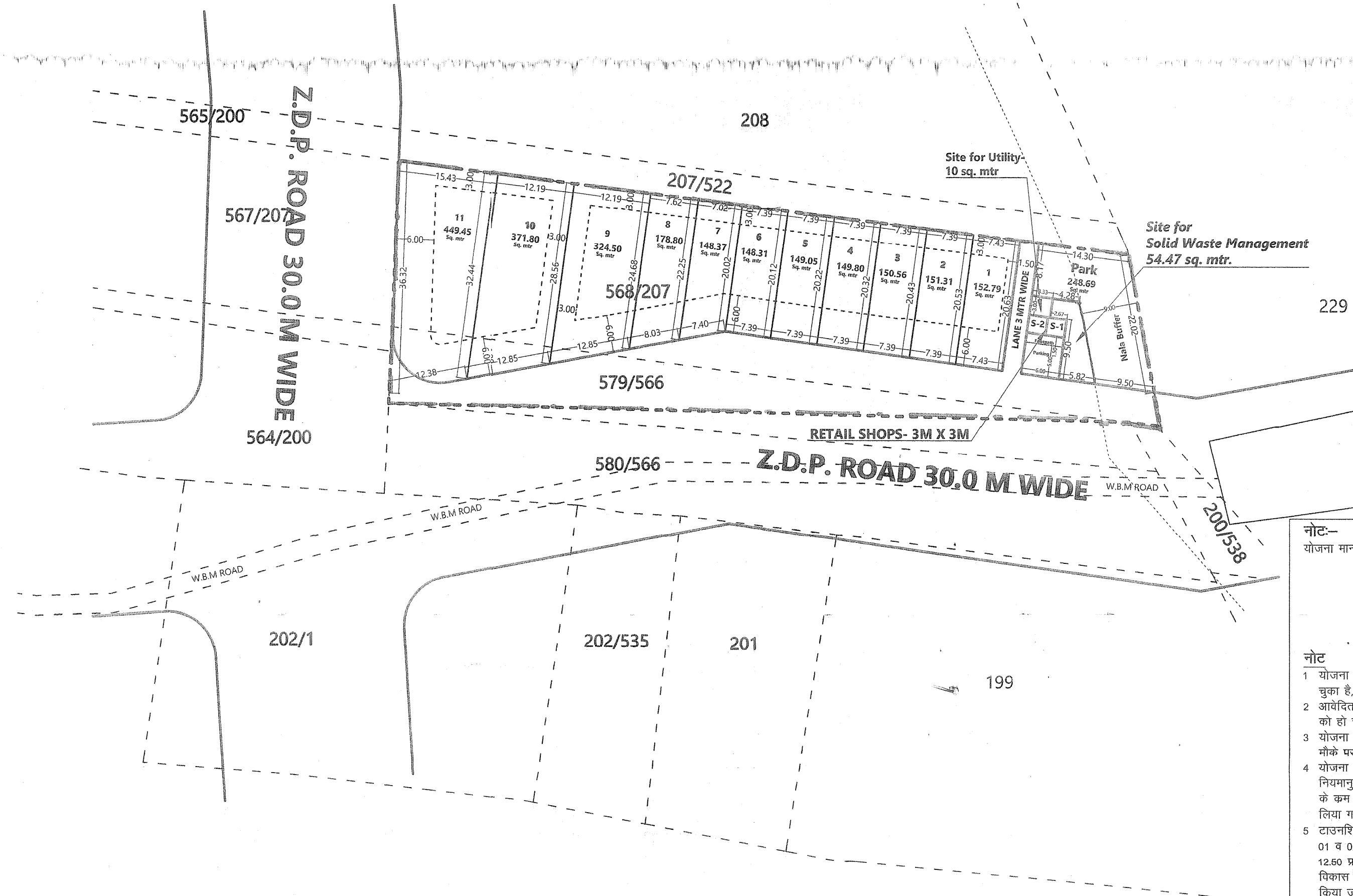
जोन-09

Consultant



Sulabh Technical Services Pvt. Ltd.
B-85/A, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-15
Q 9414066188, 9829147939
Email:- stsjpr15@gmail.com
website:- stsjipur.com

NAME OF SOCIETY:-	NUJ KHATEDARI		
NAME OF SCHEME:-	"NANDPURI Ist"		
ZONE NO.-09	SECTOR NO. =		
SCALE 1"=50'	DRG. NO.		
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR			



नोट-

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

नोट

- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 340 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 प्रकरण LU-2012/JDA/2022-23/2426 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मोके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना के पूर्व दिशा में खसरा नं. 229 में स्थित गैर मु० नाला जो मास्टर प्लान में दर्शित है, से नियमानुसार जविग्रा की अधिसूचना दिनांक 04.08.2023 के अनुसार 9 मीटर का बफर रखे जाने के कम में नाले से 9 मीटर बफर रखते हुए उक्त भाग को पार्क प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 01 व 02 कुल भूखण्ड 02 कुल क्षेत्रफल 304.10 वर्गमीटर है, को जविग्रा में अनुमोदित योजना के 12.60 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 व जोनल डेव्लपमेंट प्लान -02 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) दर्शित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैक जविग्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
जोन-09

उप नगर नियोजक
जोन-09

तहसीलदार
जोन-09

उपायुक्त
जोन-09

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)